राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः आर0एम0पी0यू0/1470/2024 | **दिनांक–20 जुलाई, 2024**

विज्ञप्ति

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.07.2024 में निर्णय लिया गया है कि–

i. शासनादेश संख्या 1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2022 दिनांक 20.04.2022 (प्रति संलग्न) के बिन्दु सं0 2.9 में किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) न दिये जाने का प्राविधान किया गया। अतः नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत कृपांक मार्क न दिये जाने का प्राविधान होने के कारण परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में नई शिक्षा नीति से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों के सत्र 2023–24 के अन्तिम वर्ष के पंचम सेमेस्टर (Vth semester) एवं षष्ठम सेमेस्टर (VIth semester) में किसी विषय के एक प्रश्न–पत्र अथवा सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Courses) अथवा किसी विषय के एक प्रश्न–पत्र एवं सह–पाठ्यक्रम दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की विशेष परीक्षा आयोजित कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

ii. नई शिक्षा नीति में स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को अधिकतम 09 वर्ष में उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अच्छादित पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष के विषम एवं सम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र जो नई शिक्षा नीति के नियमानुसार द्वितीय वर्ष में तथा द्वितीय वर्ष के विषम एवं सम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र जो तृतीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मत से इस शर्त के साथ प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें पूर्व के सेमेस्टरों की समस्त अनुतीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही उपाधि प्रदान की जायेगी।

परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के आलोक में सत्र 2023–24 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आच्छादित पाठ्यक्रमों की पंचम सेमेस्टर एवं षष्ठम सेमेस्टर की विशेष परीक्षा शीघ्र आयोजित की जायेगी।

20/7/24

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ परिक्षेत्र।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. समस्त समाचार पत्रों को इस आशय से कि अपने समाचार–पत्र में छात्र हित में उक्त सूचना निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

20/7/24

कुलसचिव